

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 57/2024
अनवान : –

1. जोतराम पुत्र तिलोकाराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
2. जुगलाल पुत्र तिलोकाराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
3. महावीर पुत्र तिलोकाराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
4. मनीराम पुत्र तिलोकाराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
5. रूपाराम पुत्र तिलोकाराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. शांति पुत्री तिलोकाराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
2. पातो पुत्री तिलोकाराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
3. सरबती पुत्री तिलोकाराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
4. कमला पुत्री तिलोकाराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
5. विमला पुत्री तिलोकाराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
6. भागा देवी पुत्री तिलोकाराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
7. धापा देवी पुत्री तिलोकाराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
8. काशीराम पुत्र चन्दो पुत्री तिलोकाराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर नोहर।
9. कृष्णलाल पुत्र चन्दो पुत्री तिलोकाराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
10. भगवानाराम पुत्र चन्दो पुत्री तिलोकाराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
11. गोपीराम पुत्र चन्दो पुत्री तिलोकाराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
12. विमला पत्नी प्रताप सिंह जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर नोहर।
13. सुनील कुमार पुत्र प्रताप सिंह जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
14. राजबाला पुत्री प्रताप सिंह जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
15. सीता पत्नी ओम प्रकाश जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
16. मनीष कुमार पुत्र ओम प्रकाश जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
17. कैलाश कुमारी पुत्री ओम प्रकाश जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
18. प्रेमराम पति रूकमा जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
19. शंकरलाल पुत्र रूकमा जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
20. रुड़ाराम पुत्र रूकमा जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।

01
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

21. धनराज पुत्र रूकमा जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
22. रोशनी पुत्री रूकमा जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादीगण
श्री सुनील कटारिया अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 12/02/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा जोजासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 34/30 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 4.6280 है0 भूमि मृतक तिलोकाराम पुत्र रूघाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादीगण के पिता तिलोकाराम पुत्र रूघाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिनके स्वर्गवास के बाद वादीगण संख्या 1 ता 5 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 एवं पुत्री चन्दो एवं पुत्री रूकमा वारिस हुए जिसमें से चन्दो पुत्री तिलोकाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 एवं पुत्र प्रताप सिंह व पुत्र ओम प्रकाश हुए जिसमें से प्रताप सिंह का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस प्रतिवादी संख्या 12 ता 14 हुए एवं ओम प्रकाश का भी स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस प्रतिवादी संख्या 15 ता 17 हुए एवं रूकमा पुत्री तिलोकाराम का भी स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 18 ता 22 है जिनका उपरोक्त भूमि में हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जो कि वादीगण की बहिने है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 22 जो कि वादीगण की मृतक बहिनों के वारिस है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा उपरोक्त भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा बनता है वह वादीगण संख्या 1 ता 5 (अपने भाईयों/मामा/अपने पिता/ससुर के मामा) के पक्ष में ब0 हि0 ब0 परित्याग कर चुके है इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 5 ब0 हि0 ब0 काबिज है वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

०१

उपस्थित अधिवक्ता
नोहर

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 22 की तरफ से अधिवक्ता श्री सुनील कुमार कटारिया ने वकालतनामा पेश किया जाकर इकबाल जवाब पेश कर निवेदन किया की वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 22 को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 23 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादीया के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीया ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में तिलोकाराम पुत्र रूघाराम के नाम दर्ज है। तिलोकाराम पुत्र रूघाराम का देहान्त हो चुका है। तिलोकाराम पुत्र रूघाराम के जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये सजरा खानदान के अनुसार ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 22 है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 22 ने उक्त वाद भूमि में अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। बाद हक त्याग वादीगण वाद भूमि पर काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा जोजासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 34/30 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 4.6280 है० भूमि तिलोकाराम पुत्र रूघाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण का कथन है कि वाद भूमि वादीगण के पिता तिलोकाराम पुत्र रूघाराम के नाम दर्ज है तिलोकाराम पुत्र रूघाराम का देहान्त हो चुका है तिलोकाराम पुत्र रूघाराम के जायज वारिस वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 22 है प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 22 ने उक्त वाद भूमि में अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है, वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया गया है तथा

अ
उपसंख्य अधिकारी
नोहर

प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल जवाब पेश किया गया है कि वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 22 को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोजासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 34/30 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 4.6280 है० भूमि में मृतक तिलोकाराम पुत्र रूघाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 5 को ब० हि० ब० के खातेदार काशतकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/02/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

१
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 57/2024

अनवान : –

1. जोतराम पुत्र तिलोकाराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
2. जुगलाल पुत्र तिलोकाराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
3. महावीर पुत्र तिलोकाराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
4. मनीराम पुत्र तिलोकाराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
5. रूपाराम पुत्र तिलोकाराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. शांति पुत्री तिलोकाराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
2. पातो पुत्री तिलोकाराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
3. सरबती पुत्री तिलोकाराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
4. कमला पुत्री तिलोकाराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
5. विमला पुत्री तिलोकाराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
6. भागा देवी पुत्री तिलोकाराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
7. धापा देवी पुत्री तिलोकाराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
8. काशीराम पुत्र चन्दो पुत्री तिलोकाराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर नोहर।
9. कृष्णलाल पुत्र चन्दो पुत्री तिलोकाराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
10. भगवानाराम पुत्र चन्दो पुत्री तिलोकाराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
11. गोपीराम पुत्र चन्दो पुत्री तिलोकाराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
12. विमला पत्नी प्रताप सिंह जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर नोहर।
13. सुनील कुमार पुत्र प्रताप सिंह जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
14. राजबाला पुत्री प्रताप सिंह जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
15. सीता पत्नी ओम प्रकाश जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
16. मनीष कुमार पुत्र ओम प्रकाश जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
17. कैलाश कुमारी पुत्री ओम प्रकाश जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
18. प्रेमराम पति रूकमा जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
19. शंकरलाल पुत्र रूकमा जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
20. रुड़ाराम पुत्र रूकमा जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।
21. धनराज पुत्र रूकमा जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।

al

उपखण्ड अधिकारी

नोहर

22. रोशनी पुत्री रूकमा जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर।

23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 57 सन 2024 निर्णय दिनांक - 12/02/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोजासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 34/30 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 4.6280 है0 भूमि में मृतक तिलोकाराम पुत्र रूघाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 5 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/02/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर